भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्थान विभाग)
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 46/2019-सीमा शुल्क (रै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2019
4 आप्रवंश, 1941 (राक)

का. आ................(अ)..... सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बारे से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं सीमीयन है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्थान विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (रै. टे.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थातः-

"सारणी-1

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम. सं.</th>
<th>अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मंद</th>
<th>माल का विवरण</th>
<th>टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1511 10 00</td>
<td>कच्चा पौध ऑयल</td>
<td>525 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1511 90 10</td>
<td>आर बी डी पौध ऑयल</td>
<td>556 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1511 90 90</td>
<td>अन्य पौध ऑयल</td>
<td>541 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1511 10 00</td>
<td>कच्चा पामोलिन</td>
<td>559 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1511 90 20</td>
<td>आर बी डी पामोलिन</td>
<td>562 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1511 90 90</td>
<td>अय पामोलिन</td>
<td>561 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1507 10 00</td>
<td>सीयोमेन का कच्चा तेल</td>
<td>709 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>7404 00 22</td>
<td>पीतल स्टेप (सभी ग्यूड)</td>
<td>3487 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1207 91 00</td>
<td>पोस्ट बीज</td>
<td>3350 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

सारणी-2

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम. सं.</th>
<th>अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मंद</th>
<th>माल का विवरण</th>
<th>टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>71 वा 98</td>
<td>स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविभि संख्या 356 और 358 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो</td>
<td>452 प्रति 10 ग्राम</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>71 वा 98</td>
<td>रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविभि संख्या 357 और 359 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो</td>
<td>477 प्रति किलोग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रम. सं.</td>
<td>अध्याय/शीष/उपशीष/टैरिफ मद</td>
<td>माल का विवरण</td>
<td>टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>080280</td>
<td>सुपारी</td>
<td>3920&quot; (अथवा कोई परिवर्तन नहीं)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[फा. सं. 467/01/2019-सीमा शुल्क–V]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार)

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-अ, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गे.टे.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 41/2019-सीमा शुल्क (गे.टे.), दिनांक 14 जून, 2019, जिसे का.आ. 1965(अ) दिनांक 14 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-अ, खंड-3, उपखंड (ii) में ई.प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।